राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 297/2025

अनिल कुमार मीणा –**अपीलार्थी**

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

–**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.01.2025
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री हापूराम विश्नोई, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नलक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण उपकेन्द्र पीलानी खुर्द, झुंझुनूं से उपकेन्द्र पेशुआ, सिरोही किया है।
3. अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण किए जाने में कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी 550 किमी दूर स्थानांतरित किया गया है। अपीलार्थी को वर्तमान स्थान से 2 वर्ष में ही स्थानांतरित किया गया है, जो राज्य सरकार के स्थानांतरण नीति के विरूद्ध है।
4. हमने अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया हम पाते है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर दिनांक 29.01.2022 से कार्यरत है। ऐसे में

अपीलार्थी को पर्याप्त अवधि तक वर्तमान स्थान पर पदस्थापित रखे जाने पश्चात् अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं राजहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करे। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)	**(अनन्त भण्डारी)**
सदस्य	**सदस्य (न्यायिक)**